>

Title: Situation arising out of unemployment due to closure of brick kiln units in the country.

श्री यशवीर सिंह (नगीना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बंद पड़े ईटों के भट्टों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2012 में यह आदेश दिया था कि बिना इनवायरनमैन्ट इम्पैक्ट असैसमैन्ट की क्लियरेंस के पांच एकड़ से बड़े क्षेत्र मे मिट्टी का खनन नहीं किया जा सकता। अप्रैल, 2012 में पांच एकड़ से छोटे क्षेत्र में भी मिट्टी के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अब ईट भट्टा उद्योग के लिए खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश से देश भर में लाखों ईट भट्टे बंद हो गये। अकेले उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ईट भट्टा उद्योग बंदी के कगार पर हैं। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लाखों की संख्या में ईट भट्टा में कार्यरत लोग मिट्टी खनन प्रतिबंधित होने से बेरोजगार हो गये।। मेरा चुनाव क्षेत्र नगीना, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आता है, वहां हजारों ईटं भट्टे हैं, यहां लाखों गरीब लोग ईट पाथते हैं, एक-एक ईट भट्टे पर पांच-पांच सौ लोग काम करते हैं। आज वे सभी भुखमरी की कगार पर हैं। उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईट भट्टों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जिससे कि गरीब लोगों के मकानों की कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसा न लगे और गरीबों के मकान सस्ती दरों पर बन सकें।